

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

::आदेश::

भोपाल दिनांक 22 दिसंबर, 2016

क्रमांक एफ 19-64/2016/1/4 :: पर्यटन नीति - 2016 की कंडिका 20 के अंतर्गत पर्यटन नीति के क्रियान्वयन हेतु वांछित सुविधाएं/रियायतें/ अनुज्ञापतियां आदि देने के लिये संबंधित विभाग आवश्यक दिशा-निर्देश/ अधिसूचनाएं/ नियम जारी करेगे। इस संबंध में मत-भिन्नता अथवा कठिनाई होने पर अथवा नीति के स्पष्टीकरण/ व्याख्या विवाद-निराकरण हेतु निम्नानुसार साधिकार समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|---------|
| 1. मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव, वन विभाग | सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग | सदस्य |
| 6. प्रकरण से संबंधित विभागों के प्रभारी सचिव | सदस्य |
| 7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम | सदस्य |

2. यह समिति प्रचलित नीति के अनुरूप निर्णय ले सकेगी। यह निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधित विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन अनिवार्यतः किया जायेगा। यह समिति इस नीति के अंतर्गत यथा उल्लेखित दायित्वों का निर्वहन करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 22 दिसंबर, 2016

पृ०क्र० एफ 19-64/2016/1/4

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/ सदस्य।
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग की ओर जारी आदेश साथ मूल नस्ती सहित अग्रेषित।
 5. उपसंचालक, जनसंपर्क मंत्रालय, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग